संख्या : 22/2017/1558/छप्पन-2016-7/2013

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 08 मार्च, 2017

विषय : वायुयान सुपरकिंग एयर बी-200 पर चार पायलटों को फर्नबोरो, इंग्लैण्ड (यू0के0) में रिकरेन्ट प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 89/ना0उ0नि0/आप्स-50/2016, दिनांक 18.11.2016 के संदर्भ में, शासनादेश संख्या- 61/2016/935(2)/छप्पन-2016-7/13, दिनांक 19.8.2016 एवं शासनादेश संख्या- 84/2016/1336/छप्पन-2016-7/13, दिनांक 20.10.2016 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेशों द्वारा कै0 पंकज सिंह, कै0 कमलेश्वर सिंह, कै0 प्रज्ञेश मिश्र एवं कै0 प्रवीण किशोर, पायलटगण को निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी मैसर्स फर्नबोरो, इंग्लैण्ड (यू0के0) में प्रशिक्षण हेतु रूपये 17,16,960-00 (रूपये सत्रह लाख सोलह हजार नौ सौ साठ मात्र) के अग्रिम आहरण और यात्रा व्यय के लिए रूपये 9,37,520-00 (रूपये नौ लाख सैंतीस हजार पॉच सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 18.11.2016 में प्रस्ताव किया गया है कि कै0 प्रज्ञेश मिश्र तथा कै0 पंकज सिंह को दिनांक 02.12.2016 से 13.12.2016 तक की नई तिथियों में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। सूच्य है कि कै0 प्रज्ञेश मिश्र को दिनांक 09.9.2016 से 20.9.2016 तक एवं कै0 पंकज सिंह को दिनांक 03.10.2016 से प्रारम्भ होने वाले स्लाट में उक्त प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, नागरिक उड्डयन के प्रस्तावानुसार कै0 प्रज्ञेश मिश्र तथा कै0 पंकज सिंह को निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी मैसर्स फर्नबोरो, इंग्लैण्ड (यू0के0) में दिनांक 02.12.2016 से 13.12.2016 तक की नई तिथियों में प्रशिक्षण हेतु कार्योत्तर स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

--- 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त शासनादेशों की शेष शर्तें एवं शेष तथ्य यथावत रहेंगे

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या : जी-1-114/दस-2017, दिनांक 07.03.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या : 22/2017/1558(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार0सी0टी ,आडिट भवन ,।।।0एस0ई/--वी-351 गोमती ,विभूति खण्ड , नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलटगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।